

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत अति० जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

गिरीराज प्रसाद

बनाम

नेशनल ऑथोरिटी वगै०

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र बाबत टाईटल में संशोधन हेतु धारा 152 सीपीसी

प्र०स०-31/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-05-2022 30/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र ताउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर किया जावे । अप्रार्थी को तलब किया जाकर मूल प्रकरण के साथ पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को पेश हो ।</p> <p>वकील प्रार्थी एवं NHAAI के वकील उफ०/ प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 152 CPC के अन्तर्गत प्रमाण के अभाव में यह कि इसमें इन्वॉल्वेड प्रमाण के निष्पत्ति दिनांक 26/4/2022 को पारित किया गया है। इसमें निष्पत्ति के अन्तर्गत पत्र प्रार्थी गिरीराज प्रसाद के पिला का नाम सहज से मोहनलाल दंकिन हो गया है, जबकि मूल पत्रावली में प्रार्थी के पिला का नाम 'सुशीराज' है। इसलिए निष्पत्ति के अन्तर्गत प्रार्थी के पिला का नाम मोहनलाल के स्थान पर सुशीराज किया जाना आवश्यक है।</p> <p>इसके अलावा पत्रावली का अवलोकन किया मूल प्रार्थना पत्र के इन्वॉल्वेड प्रार्थी के पिला का नाम 'सुशीराज' के स्थान पर 'मोहनलाल' दंकिन हो गया है जिसे सुदूरत किया जाकर दंकिन हो जाना पूर्व प्र०स० 12/2022 के इन्वॉल्वेड प्रार्थी गिरीराज प्रसाद के पिला का नाम मोहनलाल निवासी ग्राम बचौलिया के स्थान पर सुशीराज निवासी ग्राम नीमली पदा जके) लक्ष्मण लाल निष्पत्ति में गोट दंकिन किया जाके। पत्रावली के साथ प्रमाण के अभाव में प्रार्थी के संशोधन दावे को इफ्तद है।</p>	<p>उपरोक्त हुक्म नहीं है।</p> <p>जिला कलेक्टर कोटा</p>